भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1203
उत्तर देने की तारीखः 23 मार्च, 2012

विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश

1203. श्री नंदी येल्लैयाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों हेतु पृथक् स्थायी शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर 2011 के अपने आदेश को 31 मार्च 2012 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा बार-बार यह कहा है कि यह शिक्षा के अधिकार (आर॰टी॰ई॰) का अनिवार्य भाग है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, उपरोक्त अपेक्षा का अनुपालन करने वाले विद्यालयों की राज्य-वार, जिला-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उन विद्यालयों का राज्य-वार, जिला-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी भी इस अपेक्षा का अनुपालन करना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रतिष्ठान (एनवायरमेटल एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फांउडेशन) बनाम दिल्ली प्रशासन तथा अन्य के मामले में वर्ष 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 631 में दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अपने आदेश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 31 मार्च, 2012 को या इससे पूर्व सभी स्कूलों में स्थायी शौचालय सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए और यदि स्थायी शौचालय का निर्माण करना संभव नही है तो 28 फरवरी, 2012 तक या उससे पूर्व स्कूलों में कम से कम अस्थायी शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं और इस

आशय का एक शपथपत्र मुख्य सचिवों द्वारा 28 फरवरी, 2012 को या उससे पूर्व दाखिल किया जाए।

(ख) और (ग): जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), 2010–11 के अनुसार शौचालय सुविधाएं वाले स्कूलों की संख्या के संबंध में राज्यवार एक विवरण संलग्नक में दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित सभी नए स्कूलों में शौचालयों के लिए व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान में शहरी क्षेत्रों में स्थित मौजूदा स्कूलों में भी शौचालयों की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मौजूदा स्कूलों के मामले में शौचालयों की व्यवस्था पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के साथ मिलकर की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन स्कूल/गांव/ब्लाक तथा जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर किया जाता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना बजट में दर्शाया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शौचालय सुविधाओं से संबंधित अपनी आवश्यकताओं का आकलन सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के अनुसार करने तथा वर्ष 2012–13 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है।

संलग्नक

विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री नन्दी येल्लैया द्वारा दिनांक 23.03.2012 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1203 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11के अनुसार शौचालय सुविधाओं वाले स्कूलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्कूल	शौचालय की सुविधा वाले स्कूल	शौचालय सुविधा से रहित स्कूल
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	406	339	67
आन्ध्र प्रदेश	103830	84162	19668
अरूणाचल प्रदेश	4440	2167	2273
असम	53859	36891	16968
बिहार	68327	44792	23535
चंडीगढ़	182	178	4
छत्तीसगढ़	51338	30679	20659
दादरा और नागर हवेली	297	208	89
दमन एवं दीव	110	108	2
दिल्ली	5021	5019	2
गोवा	1491	1347	144
गुजरात	40743	39967	776
हरियाणा	18126	17529	597
हिमाचल प्रदेश	17439	14612	2827
जम्मू और कश्मीर	27094	13224	13870
झारखण्ड	43232	31769	11463
कर्नाटक	59456	56393	3063
केरल	12901	12249	652
लक्षद्वीप	46	40	6
मध्य प्रदेश	135815	103211	32604
महाराष्ट्र	97225	90370	6855
मणिपुर	3760	2265	1495
मेघालय	12377	6618	5759
मिजोरम	2892	2600	292
नागालैण्ड	2825	2567	258
उड़ीसा	64239	51394	12845
पुद्दुचेरी	709	698	11
पंजाब	23435	23391	44
राजस्थान	103726	96518	7208
सिक्किम	1201	1195	6
तमिलनाडु	55029	52204	2825
त्रिपुरा	4386	3519	867
उत्तर प्रदेश	201042	180572	20470
उत्तराखंड	22369	20370	1999
पश्चिम बंगाल	87839	79584	8255
कुल	**1327207**	**1108749**	**218458**

***